उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार, 24 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1939

(दिनांक : 14 जून, 2017)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी ''**क**'')
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी **''ख''**)
3. निधन के निदेश।
4. मुख्यमंत्री, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद- 151(2) के अधीन महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखेंगे।
5. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 की धारा 8(3) के अन्तर्गत सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के सम्परीक्षित लेखाओं पर आधारित वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन [निदेशालय लेखा परीक्षा (आडिट)] वित्तीय वर्ष 2013-14 को सदन के पटल पर रखेंगे।
6. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
7. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम माडलसेरा में नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री गौरव कुमार, ग्राम व पोस्ट माडलसेरा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
8. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम बहुली में राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री रमेश दास, ग्राम व पोस्ट बहुली, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
9. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा ''जनपद बागेश्वर के गरूड़ क्षेत्र को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री घनश्याम जोशी, ग्राम पाये पोस्ट गरूड़, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
10. श्री महेन्द्र भट्ट, सदस्य, विधान सभा ''जनपद चमोली की नवसृजित तहसील जिलासू में विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों की कमी के निराकरण के सम्बन्ध में'' श्री गजपाल बर्त्वाल, ग्राम झिलोरी पोस्ट जिलासू, जनपद चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. श्री महेन्द्र भट्ट, सदस्य, विधान सभा ''जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के ग्राम मण्डल में स्थित जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान को विकसित करने के सम्बन्ध में'' श्री योगेन्द्र प्रसाद सेमवाल, ग्राम मण्डल पोस्ट वेरांगना, जनपद चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

12. श्री महेन्द्र भट्ट, सदस्य, विधान सभा ''जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी के ग्राम पंचायत गिरसा में सन् 2013 की आपदा के बाद अलकनन्दा नदी से लगातार हो रहे भूमि कटाव से अनुसूचित जाति बस्ती को हो रहे खतरे के सम्बन्ध में'' श्री दर्शन लाल, ग्राम गिरसा पोस्ट जिलासू (पोखरी), जनपद चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

13. श्री महेन्द्र भट्ट, सदस्य, विधान सभा ''जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत उडामांडा-रौता मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं डामरीकरण के सम्बन्ध में'' श्री किशन सिंह बुटोला, ग्राम चौण्डी, पोस्ट व विकासखण्ड पोखरी, जनपद चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

14. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा ''जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिदोली 04 किमी0 मोटर मार्ग से पनाई अनुसूचित जाति बस्ती तक 02 किमी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री सुरेश कुमार आर्य, ग्राम पनाई पोस्ट गौचर, जनपद चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

15. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा ''जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण के भराड़ीसैंण से ग्राम सभा परवाड़ी तक मोटर मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री गोपाल सिंह, ग्राम पंचायत परवाड़ी, विकासखण्ड गैरसैंण, जनपद चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

16. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा ''जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण के अन्तर्गत स्यूणी मल्ली तक मोटर मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री शिव सिंह, ग्राम स्यूणी मल्ली, विकासखण्ड गैरसैंण, जनपद चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

17. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

18. नियम 315 के खण्ड (13) व(14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

19. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

20. आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

21. आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2017 को पुरःस्थापित करेंगे।

22. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

23. वित्तीय वर्ष, 2017-2018 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदानः-

(1) जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 9343717 हजार (रूपये नौ सौ चौंतीस करोड़ सैंतीस लाख सत्रह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(2) कृषि मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 4725525 हजार (रूपये चार सौ बहत्तर करोड़ पचपन लाख पच्चीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(3) परिवहन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 547120 हजार (रूपये चौवन करोड़ ईकहत्तर लाख बीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(4) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 7319938 हजार (रूपये सात सौ इक्तीस करोड़ निन्यानवे लाख अड़तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(5) समाज कल्याण मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 2363828 हजार (रूपये दो सौ छत्तीस करोड़ अड़तीस लाख अठ्ठाईस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(6) पशुपालन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 1434926 हजार (रूपये एक सौ तैंतालीस करोड़ उनचास लाख छब्बीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ग)**)

(7) श्रम एवं रोजगार मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 1124348 हजार (रूपये एक सौ बारह करोड़ तैंतालीस लाख अड़तालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

24. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

25. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर में स्वजल विभाग द्वारा निर्मित पेयजल योजनाओं के मरम्मत करने व पुनः चालू करने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राठौर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2017 को दी गई सूचना पर पेयजल मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

26. जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र किच्छा के भूमिहीन परिवारों के भूमिहीन का प्रमाण पत्र जारी न करने से क्षेत्रीय जनता को हो रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में श्री राजेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2017 को दी गई सूचना पर माननीय राजस्व मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 13 जून, 2017

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

द्वितीय सत्र, 2017
का प्रथम बुधवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा

की कार्यसूची

बुधवार, 24 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1939

(दिनांक : 14 जून, 2017)

नत्थी ''क''

अल्पसूचित प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह पंवार 30.05.2017	** क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चारधाम यात्रा मार्गों पर डेंजर जोन चिन्हित किये गये है जहां पर बार–बार दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है? क्या सरकार ऐसे स्थानों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**लोक निर्माण**
श्री हरीश धामी 30.05.2017	** क्या चिकित्सा मंत्री बतायेगें कि राज्य में राज्य कर्मियों को चिकित्सा/उपचार हेतु यू हैल्थ कार्ड योजना कितने समय से बन्द है? क्या सरकार यू हैल्थ कार्ड स्कीम को पुनः कब तक लागू करेगी? यदि हां, तो उस योजना का विस्तृत विवरण क्या है? यदि नही, तो क्यों?	**चिकित्सा**

नत्थी ''ख''

तारांकित प्रश्न

श्री देशराज कर्णवाल 05.05.2017	*1. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि संयुक्त वन प्रबंधन के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में कितनी वन पंचायतें कार्यरत है? स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत कितने संयुक्त वन प्रबंधन वाली पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई? क्या उनकी सूची उपलब्ध करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**वन**
श्री देशराज कर्णवाल 09.05.2017	*2. क्या पर्यावरण मंत्री अवगत है कि झबरेड़ा क्षेत्र जिला हरिद्वार के अन्तर्गत स्थित विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में जल को शोधित कर प्रवाहित नहीं किया जाता, जिस कारण क्षेत्र के अनेक गांवों में भूगर्भीय जल प्रदूषित हो गया है जो स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ का कारण बन रहा है तथा औद्योगिक इकाईयों ने या तो जल शोधन यंत्र लगाए ही नहीं है या फिर उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो अभी तक इस दिशा में क्या कार्य किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? तथा अब इस दिशा में कब तक कार्यवाही की जायेगी?	**पर्यावरण**
श्री प्रीतम सिंह पंवार 09.05.2017	*3. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के कितनी ग्राम पंचायतों में वन पंचायतों का गठन किया जा चुका है? इन गठित वन पंचायतों के क्या अधिकार व दायित्व है तथा इनके द्वारा अब तक कौन–कौन से कार्य सम्पादित कराये गये? यदि नहीं, तो क्यों?	**वन**
श्री हरभजन सिंह चीमा 15.05.2017	*4. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अमृत योजना के अन्तर्गत भविष्य में प्रदेश के प्रमुख शहरों क्रमशः देहरादून, हरिद्वार, रूद्रपुर, नैनीताल, हल्द्वानी, रूड़की एवं काशीपुर को मिलने वाली राशि में से लगभग 50 करोड़ रू0 की कटौती करते हुए उस राशि को हरिद्वार को देय राशि में जोड़े जाने की कोई योजना है? यदि हां, तो सम्बन्धित राशि की कटौती किन मानकों के अन्तर्गत की जा रही है और उसका विवरण क्या है?	**शहरी विकास**
श्री महेन्द्र भट्ट 16.05.2017	*5 क्या वन मंत्री अवगत है कि प्रदेश में जंगली जानवर मुख्य रूप से सुअर, भालू आदि जंगलों से काश्तकारों के खेतों को काफी नुकसान पहुँचा रहे है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वन विभाग द्वारा इन जानवरों को काश्तकारी क्षेत्र में आने से रोकने के लिए योजना तैयार की है? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	**वन**
श्री प्रीतम सिंह पंवार 17.05.2017	*6 क्या सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के सभी जनपदों में जनपदवार 31 मार्च, 2017 तक कुल कितने शिक्षित बरोजगार पंजीकृत हैं और जनपदवार ऐसे पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों में से कितनों को बेरोजगारी भत्ता का भुगतान सरकार द्वारा किया जा रहा है? क्या सरकार ऐसे सभी पंजीकृत बेरोजगारों को बरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नही तो क्यों?	**सेवायोजन**

श्री मनोज रावत
17.05.2017

*7 क्या वन एंव पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रूद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य के गठन के समय उसकी सीमा के अर्न्तगत आने वाले प्रत्येक गांव या रिहायशी क्षेत्रों से उन्हे केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य के गठन के समय अभ्यारण्य में सम्मिलित करने की स्वीकृति सहमति, अथवा अन्नापत्ति ली गयी थी? यदि हां, तो क्या मंत्री जी प्रत्येक गांव अथवा रिहायशी क्षेत्र द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति, सहमति अथवा अन्नापत्ति सदन में प्रस्तुत करेंगे? यदि नही, तो यह स्वीकृति सहमति अथवा अन्नापत्ति क्यों नहीं ली गयी?

वन

श्री मनोज रावत
17.05.2017

*8 क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रूद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंर्तगत आने वाले केदारनाथ धाम के मार्ग व आस–पास के हिस्से द्वितीय केदार मदमहेश्वर और उसका मार्ग, तृतीय केदार तुगनाथ व उसका मार्ग, कालीशिला के साथ साथ अभ्यारण्य की सीमा में आने वाले प्रत्येक गावं जो कडे वन्य जीव कानूनों के कारण विकास से वंचित हैं के विकास के लिए कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या? क्या विभाग ने आज तक प्रत्येक गांव के निवासियों की पूरी भागीदारी और सहायता से संग्रहित ईको विकास प्लान बनाया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी प्रत्येक गांव के संग्रहित ईको विकास प्लान को सदन में प्रस्तुत करेंगे? क्या प्रत्येक पौराणिक तीर्थ और प्रत्येक गांव का ट्रेल मैन्जमेन्ट प्लान बनया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस ट्रेल मैनेजमेन्ट प्लान को सदन के सम्मुख रखेंगे ?

वन

श्री प्रीतम सिंह पंवार
18.05.2017

*9 क्या वन एवं वन्य जीव मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कुछ वर्षों से वन्य जीव गांव और आबादी की ओर रूख कर रहे हैं जिसके कारण उनके जीवन को भी खतरा बना रहता है? क्या सरकार की कोई योजना विचाराधीन है जिससे वन्य जीव वनों में ही प्रवास कर सकें उनका नैसर्गिक विकास बना रहे? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है और कब से लागू की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

श्री देशराज कर्णवाल
26.05.2017

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त

सेवायोजन

*10 क्या सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड के सभी जिलों के जिला रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगार अब तक पंजीकृत है? इन कर्यालयों के होते हुए किन कारणों से समानान्तर रोजगार कार्यालय जैसे उपनल, प्रान्तीय रक्षक दल तथा कुछ अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है? इस व्यवस्था को कब तक समाप्त किया जायेगा?

श्री चन्दन राम दास
26.05.2017

*11 क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बन्दरों को पकड़ने तथा उनके बन्दीकरण की कोई योजना है एवं किसानों को बन्दरों द्वारा नुकसान का मुआवजा दिया जायेगा? क्या सरकार के पास कोई दीर्घकालिक योजना है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

वन

श्री खजान दास
26.05.2017

*12 क्या शहरी विकास मंत्री अवगत है कि उत्तराखण्ड प्रदेश में 581 मलिन बस्तियाँ है? जिसमें अकेले देहरादून शहर में 129 बस्तियाँ है तथा मलिन बस्तियों के नियमितीकरण हेतु पूर्व सरकार द्वारा कैबिनेट में भी प्रस्ताव लाया गया था? मलिन बस्तियों के नियमितीकरण हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस नीति बनायी जा रही है अथवा नहीं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शहरी विकास

अतारांकित प्रश्न

काजी मौ0निजामुद्दीन 29.04.2017	1. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत है कि जनपद हरिद्वार के नगरीय क्षेत्रों में मच्छरों का भारी प्रकोप होने के कारण महामारी फैलने की आशंका है? यदि हां, तो सरकार जनपद हरिद्वार के नगरीय क्षेत्रों में मच्छरों की रोकथाम हेतु यथाशीघ्र कोई कार्य योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?	**शहरी विकास**
श्री देशराज कर्णवाल 30.04.2017	2. क्या नगर विकास मंत्री अवगत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत खालसा बस्ती है जिसमें वाल्मीकि समाज के लोग आबाद है जिनको बुनियादी मूलभूत सुविधायें प्राप्त नहीं हो रही है जबकि यहां के अधिकांश स्त्री पुरूष नगरपालिका मंगलौर में सफाई कर्मचारी के तौर पर कार्य करते हैं? क्या उक्त खालसा बस्ती के लोगों को बुनियादी सुविधायें देने हेतु नगरपालिका मंगलौर का सीमा विस्तार करते हुए खालसा बस्ती को उसमें शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?	**नगर विकास**
श्री प्रीतम सिंह पंवार 04.05.2017	3. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कृषकों/मजदूरों/झुग्गी झोपड़ियों के निवासियों के उत्थान के लिए कोई विशेष कार्य योजना नीति बनाये जाने पर विचार किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**शहरी विकास**
श्री देशराज कर्णवाल 11.05.2017	4. क्या नगर विकास प्रबन्धन मंत्री अवगत है कि बरसाती मौसम में झबरेड़ा क्षेत्र जिला हरिद्वार में कृष्णानगर, प्रेमनगर व शिवपुरम आदि आबादियां जल निकासी का माध्यम न होने के कारण जलमग्न हो गयी थी? यदि हां, तो क्या सरकार नाला निर्माण का कार्य प्रारम्भ करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**नगर विकास**
श्री देशराज कर्णवाल 15.05.2017	5. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत है कि हरिद्वार हरकी पैड़ी स्थित संत शिरोमणि गुरू रविदास मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु किए गए संघर्षों के प्रतिफल मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य हुआ था? क्या यह भी सत्य है कि मंदिर के ऊपर से गुजर रही सीढ़ियों एवं सामने बने शौचालयों को हटाकर मंदिर का सौंदर्यीकरण हेतु सरकार द्वारा दूसरी सीढ़ियों का निर्माण कर दिया गया है लेकिन पुरानी सीढ़ियां व शौचालय नहीं हटाए गए है? यदि हां, तो इस पर कब तक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?	**शहरी विकास**

श्री मनोज रावत 16.05.2017	6. क्या वन एंव पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रूद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंर्तगत आने वाली तोषी, चिलोंड, गडगू और गोडार गांव हेतु प्रस्तावित सड़कें स्वीकृत हो चुके है यदि नही, तो क्यों? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन सड़कों की स्वीकृति किस स्तर पर लंबित है तथा राज्य सरकार इन गांव तक सड़क स्वीकृति हेतु क्या प्रयास कर रही है? यदि हां, तो कब तक सम्बन्धित निर्माण एजेन्सीयों को ये स्वीकृतियां मिल जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**वन एवं पर्यावरण**
श्री हरभजन सिंह चीमा 16.05.2017	**दो विभागों से संबंधित होने के आधार पर निरस्त** 7 क्या नगर विकास मंत्री इस बात से अवगत है कि काशीपुर शहर में निजी बसों एंव ट्रकों के बढ़ते दबाव के कारण मुख्य मार्गो पर जाम की स्थिति बनी रहती है जिस कारण जनता को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो इस समस्या के निदान हेतु क्या सरकार काशीपुर के एस्कार्ट फार्म में सरकार के पास उपलब्ध भूमि में ट्रान्सपोर्ट नगर बनाये जाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो इसका शासनादेश कब तक जारी होगा? यदि नहीं, तो क्यों?	**नगर विकास**
श्री मनोज रावत 16.05.2017	क्या वन एंव पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रूद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ वन्य जीव अभ्यावरण के अंर्तगत आने वाले पौराणिक तीर्थ स्थल तथा केदारनाथ धाम के मार्ग एंव आसपास के हिस्से, द्वितीय केदार मद्महेश्वर और उसका मार्ग, तृतीय केदार तुंगनाथ और उसका मार्ग, कालीशिला के साथ–साथ अभ्यारण्य की सीमा में आने वाले गांवो या एक गांव के दो हिस्सों के बीच आने वाली अभ्यारण्य के क्षेत्र अथवा अभ्यारण्य की सीमा में आने वाली बस्तियों को अभ्यारण्य की सीमा से बाहर करने हेतु केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा का पुर्नसीमांकन कर इन क्षेत्रों को केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य से बाहर निकालने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार या उचित माध्यम को प्रस्तुत किया गया है? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इन धार्मिक, पर्यटक स्थलों अथवा गांवो को केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य से बाहर करने का प्रस्ताव उचित माध्यम को भेजेगी?	**वन एवं पर्यावरण**
श्री महेन्द्र भट्ट 19.05.2017	9. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में नव सृजित नगर पंचायत पीपलकोटी के ग्राम पंचायत अगथला एवं रैतोली अपने को नगर पंचायत से अलग रखने के लिए ग्रामवासियों द्वारा कोई प्रस्ताव किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इन ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत पीपलकोटी से अलग किये जाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**नगर विकास**

श्री देशराज कर्णवाल
22.05.2017

तृतीय शुक्रवार के अतारांकित 8 में स्थानान्तरित — **शहरी विकास**

10. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन 09 नवम्बर, 2000 से लेकर अब तक सीवर/सैप्टिक टैंक में कितने लोगों की मौत हुई एवं उनके आश्रितों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश 27 मार्च, 2014 के अनुसार तुरन्त 10 लाख रूपया मुआवजा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री देशराज कर्णवाल
22.05.2017

दो विभागों से संबंधित होने के आधार पर निरस्त — **शहरी विकास**

11. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सीवर/टैंक सफाई के काम का आधुनिकरण किया जा रहा है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा? क्या मंत्री जी सभी नगर निगमों तथा नगरपालिका परिषदों, नगर पंचायतों का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री देशराज कर्णवाल
22.05.2017

तृतीय मंगलवार के अतारांकित 9 में स्थानान्तरित — **शहरी विकास**

12. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्कीम फॉर रिहैबलीटेशन ऑफ मैनवल स्कैवजंर (एस0आर0एम0एस0)योजना के तहत कितने सफाई कर्मचारियों को उत्तराखण्ड में पुर्नवासित किया गया और वर्तमान में कितने लोगों का नाम विचाराधीन है?

श्री देशराज कर्णवाल
22.05.2017

चतुर्थ मंगलवार के अतारांकित 20 में स्थानान्तरित — **शहरी विकास**

13. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत है कि सफाई कर्मियों को दी जाने वाली एकमुश्त राहत राशि योजना (रू0 40,000) के अन्तर्गत कितने लोगों को और किन–किन स्थानीय निकायों में यह सुविधा दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महन्त दलीप रावत
26.05.2017

14. क्या वन मंत्री अवगत है कि विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत तैड़िया व चाड़ कार्बेट नेशनल पार्क के अन्तर्गत आते है? क्या सरकार उक्त गांवों के विस्थापन हेतु कोई व्यवस्था करेगी, यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? — **वन**

श्री देशराज कर्णवाल
29.05.2017

15. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में जितने नगर निगम है उनकी अलग–अलग नगरों की कुल जनसंख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? इनमें से कौन–कौन नगर निगम अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और भविष्य में कौन–कौन से नगर निगम आरक्षित होने की सम्भावनायें है? — **शहरी विकास**

श्री देशराज कर्णवाल
29.05.2017

16. क्या निर्वाचन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है? क्या प्रदेश को ईकाई मानकर अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाता है,? यदि हां, तो हरिद्वार जिले में क्या इसमें अन्तर आयेगा? — **निर्वाचन**

श्री देशराज कर्णवाल

29.05.2017

तृतीय सोमवार के अतारांकित 50 में स्थानान्तरित **आवास**

17. क्या आवास मंत्री अवगत है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को एक लाख अठावन हजार व अटल आवास योजना में पैतीस हजार की अनुदान राशि के बीच भारी अन्तर को समाप्त करके अनुदान राशि भारत सरकार से समान कराने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री देशराज कर्णवाल

29.05.2017

द्वितीय बुधवार के अतारांकित 11 में स्थानान्तरित **आवास**

18. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि झबरेड़ा नगर पंचायत में भक्तों वाली ग्राम पंचायत के बीच स्थित 200 परिवार जो दोनों निकायों में आवास सर्वे से छूट रहे है उन्हें सर्वे में शामिल करने हेतु सरकार के स्तर से क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

नत्थी– ''ग''

वित्तीय वर्ष 2017–2018 के अनुदान मांगों में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्याः– 13–जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग, 17–कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग, 24–परिवहन विभाग, 30–अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग, 31–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण विभाग, 28–पशुपालन विभाग, 16–श्रम और रोजगार विभाग,

	प्रस्तावक का नाम	**प्रस्ताव का प्रारूप**
(क)	1. डा0 इन्दिरा हृदयेश 2. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल 3. श्री प्रीतम सिंह 4. काजी निजामुद्दीन 5. श्री करन माहरा 6. श्री हरीश सिंह 7. हाजी फुरकान अहमद 8. श्रीमती ममता राकेश 9. श्री राजकुमार 10. श्री आदेश सिंह चौहान।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
(ख)	1. श्री प्रीतम सिंह पंवार	–तदैव–